फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कालुलाल

बनाम

विपक्षी : श्री रामलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली संख्या : 47/22

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 03.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3, 4 द्वारा जवाब पेश नही किया गया। पर्याप्त अवसर दिया जा चुका हैं। अतः विपक्षी संख्या 3, 4 का जवाब का अवसर बंद किया जाता हैं। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थी द्वारा कहे गये कथनों का खण्डन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 2 का समान रूप से हिस्से बराबर से खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य है। प्रार्थी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 2 सगे भाई है एवं प्रार्थी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 2 के पिता वेणीराम जी की विरासत के समय सहवन से प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 के साथ विपक्षी संख्या 2 के नाम का अंकन होना रह गया था जिससे मुल वाद घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी से बेवजह द्वेषता रखता हैं तथा विपक्षी संख्या 2 को बहला फुसला कर अपने साथ कर लिया है जिससे विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के हक अधिकारों को चुनौति देने पर उतारू है तथा प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब में स्वीकार किया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 2 अपना नाम हक हिस्से अनुसार दर्ज कराये जाने में कोई आपत्ति नहीं कराता है तथा शेष कथनो का खण्डन किया। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थी द्वारा मुल वाद घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया जिसमें प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 2 का नाम विरासत के नामान्तरण के समय सहवन से अंकित रह जाने से विपक्षी संख्या 2 के नाम की हिस्से अनुसार घोषणा करवाई जाकर बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया। वाद पत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर विपक्षी द्वारा प्रार्थी के हक अधिकारों को चुनौती देने व बेदखल करने पर आमादा होने से विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रार्थी प्रार्थनाग्रस्त भूमि में खातेदार है। प्रार्थी द्वारा कथन कहा की विपक्षी प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित हैं। विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि में अपने हिस्से को राजस्व रेकर्ड में अंकन कराये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार होने से प्रार्थी का हित निहित है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीम का खेडा पटवार हल्का धारता भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. [illegible] 78–81 की परिशिष्ठ (क) खाता संख्या नया 53 की आराजी नम्बर 101, 102, 81, 82, 85 [illegible] 89, 90, 91, 92, 93, 94 किता 13 रकबा 3.1200 हैक्टयर भूमि, परिशिष्ठ [illegible] 72 की आराजी न. 103, 597/101 किता 2 रकबा 0.6500 हैक्टयर [illegible] परिशिष्ठ [illegible] की खाता संख्या नया 71 की आराजी न. 596/85, 86 किता 2 रकबा [illegible] विपक्षी मूल वाद के [illegible] होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:19 IST
Reason: SelfAttested